30/2018
आयुक्त/ADA
धारा - 212 RTA

27/5/20

उभयपक्ष में से केवल वकील प्रार्थीगण उपस्थित। इन्हें प्रार्थना-पत्र पर सुना जाना, प्रार्थीगण का [illegible] विधिवत्। प्रा० पत्र आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शा० मि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संलग्न भंडार हो।

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अजमेर

पीठासीन अधिकारी – रतन कौर, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 30/2018

1– झमकू देवी पत्नि स्व0 श्री सुखदेव
2– श्री बंशीलाल
3– श्री अगरचन्द
पुत्रगण स्व0 श्री सुखदेव
4– नैना
5– मंगली
6– रूकमा
7– सोना
पुत्रियां स्व0 श्री सुखदेव, समस्त जाति कहार, निवासीगण ग्राम नदी–ा डूमाडा, वाया सराधना, तहसील व जिला अजमेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1– अजमेर विकास प्राधिकरण, जरिये सचिव
2– प्राधिकृत अधिकारी एवं विशेषाधिकारी (भूमि), अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर
3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री अभिषेक शर्मा, वकील प्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक–22.05.2026

1. प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इसी उनवान वाद के साथ प्रस्तुत किया है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम नदी–ा, डूमाडा वाया सराधना, तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा संख्या 8 रकबा 07–14–00 बीघा के मूल खातेदार स्व0 बालू पुत्र श्री हरलाल थे। जिन्हे उक्त आराजी आवंटित की जाकर आवंटन पश्चात उनकी गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जिसकी पुष्टि चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 से होती है। उक्त आराजी वर्किंग खसरा संख्या 8 के पूर्व खसरा संख्या 1/2 मिन रहे हैं एवं नये खसरा संख्या 10 रकबा 1.25 हैक्टर बने हैं। स्व0 श्री बालू द्वारा उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.01.1972 से 2000/– रूपये में स्व0 सुखदेव पुत्र स्व0 चतरा को बेचान कर दी गई, जिसका इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी में नहीं किया गया। क्रय की दिनांक से ही विवादित आराजी पर स्व0 सुखदेव खातेदार काश्तकार काश्त करते रहे एवं उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। श्री सुखदेव की मृत्यु दिनांक 10.09.2008 के पश्चात से ही प्रार्थीगण विधिक वारिसान होने से उन्हे उक्त आराजी में सगस्त प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं एवं बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बगैर किसी न्यायिक आदेश के उक्त आराजी बिलानाम सरकार

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

दर्ज कर दी जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। न्याय का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व कर्मचारियों को केवल मात्र एन्ट्रीज को रिपीट करने का अधिकार है, उसमें कोई बदलाव केवल सक्षम न्यायालय के आदेश के पश्चात ही किया जा सकता है। साथ ही बिना किसी आदेश के आराजी नामान्तरकरण संख्या 45 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। उक्त गलत नामान्तरकरण के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कर्मचारी विवादित आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। यदि वे प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजी में प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने, खुर्द बुर्द नहीं करने एवं हस्तांतरित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण एवं उनके एजेन्ट, कर्मचारी व एसाईनीज इत्यादि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए एवं मूल वाद पत्रावली पर जवाब पेश किया किन्तु वरवक्त बहस अनुपस्थित रहे। जवाबदावा अनुसार तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वयं के कथनानुसार विवादित आराजी पर कभी भी खातेदारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं हुए एवं आराजी का विक्रय होकर कब्जा काश्त एवं तथाकथित विक्रय से परिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में वादीगण/प्रार्थीगण के हक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। वादीगण के पक्ष में किसी भी रिकॉर्ड में विधिवत खातेदारी अधिकार प्रमाणित नहीं होते हैं। सिवायचक खाते की आराजी को सक्षम अधिकारी के आदेशों की पालना में जन हितार्थ बहुपयोगी प्रयोजनार्थ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के पक्ष में विधिवत रूप से हस्तान्तरित किया गया है, जो न्यायोचित है। विवादित आराजी से प्रार्थीगण/वादीगण का कोई सरोकार नहीं होने के कारण नियम विरूद्ध अतिक्रमण की स्थिति में नियमानुसार बेदखली हेतु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सर्वदा स्वतंत्र है। राजकीय जन हितार्थ योजनाओं के समयबद्ध संचालन को बाधित करने की मंशा से निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थीगण/वादीगण का कथन निरर्थक होकर खारिज करने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

3. हमने विद्वान वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी एवं जवाबदावे पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का तथा विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ चौसाला जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2022 पेश की है जिसके अनुसार विवादित भूमि बालू वल्द हरलाल कौम नाई सा0 देह बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त वर्णित विवादित आराजी चौसाला जमावन्दी सम्वत 2019 से 2022 के अनुसार बालू वल्द हरलाल के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज रही है। प्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त आराजी बाबत खातेदारी उद्घोषणा हेतु पृथक से न्यायालय में वाद पेश कर रखा है। जिसे प्रार्थीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर सिद्ध करे। प्रार्थीगण द्वारा बालू वल्द हरलाल के नाम उक्त आराजी बतौर गैर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने का कथन किया है जो कि प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से भी सिद्ध होता है। उक्त आराजी को प्रार्थीगण ने अपने पिता स्व0 सुखदेव पुत्र स्व0 चतरा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र स्व0 बालू से क्रय किये जाने का कथन भी किया है। वरवक्त बेचान उक्त आराजी बेचानकर्ता के नाम राजस्व

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

रिकॉर्ड में गैर खातेदार के रूप में दर्ज थी जबकि विक्रेता को विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत आराजी विक्रय करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 अनुसार विवादित आराजी जरिये नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 26.05.2014 द्वारा अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये प्रार्थीगण को तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति को सिद्ध करना आवश्यक था। विवादित आराजी वरवक्त बेचान बालू वल्द हरलाल के नाम गैर खातेदार दर्ज रही है जबकि उन्हे आराजी को विक्रय करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था, इसके उपरान्त भी उनके द्वारा स्व0 सुखदेव पुत्र स्व0 चतरा को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया। प्रार्थीगण ने स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्व रिकॉर्ड से स्वयं सिद्ध है। हम अप्रार्थी संख्या 3 (पैरोकार सरकार) के इन कथनों से सहमत हैं कि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के कभी भी खातेदारी अधिकार उत्पन्न ही नहीं हुए एवं आराजी का विक्रय होकर कब्जा काश्त एवं तथाकथित विक्रय से परिवर्तन हो चुका है। फलस्वरूप वादीगण/प्रार्थीगण के हक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं एवं इनके पक्ष में किसी भी रिकॉर्ड में विधिवत खातेदारी अधिकार प्रमाणित नहीं होते हैं। सिवायचक खाते की आराजी को सक्षम अधिकारी के आदेशों की पालना में जन हितार्थ बहुपयोगी प्रयोजनार्थ अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के पक्ष में विधिवत रूप से हस्तान्तरित किया गया है, जो न्यायोचित है। इस प्रकार प्रार्थीगण दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को अपने पक्ष में सिद्ध नहीं कर पाये हैं, वे इन्हे सिद्ध करने में असफल रहे हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होता है एवं प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) * अजमेर *

(रतन कौर)
सहायक कलक्टर (मुख्यालय),
अजमेर